गोपाल बनाम श्रीमती चन्ता व अन्य

रस्म मुकदमा/अपील एलआर–75/नं./970/2020

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2020/00970) अधि0अपी0 श्री राकेश अरोड़ा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.08.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा अपील विड्रो किये जाने के प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रत्यर्थीगण की तलबी किये जाने बाबत नियत है। अपीलार्थी अभि. को अपील विड्रो प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पक्षकारो के मध्य आपसी समझौता हो जाने से प्रार्थी/अपीलार्थी प्रस्तुत अपील को आगे नही चलाना चाहते है अतः इस अपील को विड्रो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी स्वयं ही अपनी प्रस्तुत अपील को समझौता हो जाने से आगे नहीं चलाना चाहते है जिससे न्यायहित में विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी अभिभाषक का अपील विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । अपील अपीलार्थी द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner